कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल

क्रमांक 4702/नातौ/अ–1(1)/एफ–372/2004, भोपाल,दिनांक22.9.2004

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक निरीक्षक,
नाप तौल, म.प्र.

विषयः– आम उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने बावत्।

विषयान्तर्गत विभाग के ध्यान में लाया गया है कि आम उपभोक्ताओं को नापतौल में कमी कर ठगा जा रहा है। इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने हेतु समय–2 पर आपको सभी संस्थानों की नियमित एवं आकस्मिक जांच करने के निर्देश दिये जा चुके है, इस जांच के और अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हा इसलिये आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि आप एक विशेष जांच अभियान चलाकर निम्नानुसार जांच कार्यवाही करें :–

1	वे–ब्रिजेस की जांच :–	जाचं अभियान में वे ब्रिजेस की सुक्ष्मता के साथ निरंतर जांच करे, चूंकि इसमें पांच प्रतिशत की भी त्रुटि होने से उपभोक्ताओं को करोड़ो रूपये का नुकसान हो सकता है।
2	पी.सी.आर. के अन्तर्गत जांच :–	जांच अभियान के तहत पी.सी.आर पैकेजों की खुली बिक्री की तो जांच की जाये, इसके अलावा पैकेज बंद वस्तुओं के निर्माताओं के परिसर में जाकर जांच करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिसर से बाजार में आ रहे पैकेज अपेक्षाओं के अनुरूप है।
3	बड़े विभागीय भण्डारों, आभूषणों, उचित मूल्य दुकानों आदि के अंतर्गत जांचः–	जांच अभियान में विशेष तौर पर विभागीय भण्डारण ज्वेलरी दुकानों, उचित मूल्य की दुकानों आदि के साथ–2 पेट्रोल पम्पों आदि की जांच भी

सुनिश्चित करें। चूंकि आजकल विभागीय भण्डारों का प्रचलन अधिक मात्रा में है।

इस जांच में पारदर्शिता को बनाये रखने के लिये जांच अभियान के समय स्वेच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों का भी सहयोग आवश्यक रूप से ले, जिससे जांच की पारदर्शिता बनी रहे। इस जांच अभियान की जानकारी प्रत्येक निरीक्षक अपने संभागीय अधिकारियों को यथा समय दें उप/सहायक नियंत्रक उन्हें प्राप्त जानकारी एकजाई संकलित कर तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करें। यह जानकारी सामयिक है इसका ध्यान रखें।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल